

मध्यप्रदेश शासन,
जल संसाधन विभाग
मंत्रालय

क्रमांक 35/5/05/31 / 114
प्रति,

भोपाल, दिनांक 27/05/2018

- | | |
|---|---|
| 1. आयुक्त,
भू-अर्जन एवं पुर्नवास, बाणसागर परियोजना, रीवा। | 2. मुख्य अभियंता,
बोधी, जल संसाधन विभाग, भोपाल। |
| 3. मुख्य अभियंता,
चम्बल बेतवा कछार जल संसाधन विभाग, भोपाल। | 4. मुख्य अभियंता,
जल संसाधन विभाग, होशंगाबाद। |
| 5. मुख्य अभियंता,
वैनगंगा कछार, जल संसाधन विभाग, सिवनी। | 6. मुख्य अभियंता,
धसान केन कछार, जल संसाधन विभाग, सागर। |
| 7. मुख्य अभियंता,
नर्मदा ताप्ती कछार, जल संसाधन विभाग, इंदौर। | 8. मुख्य अभियंता,
राजघाट नहर परियोजना, जल संसाधन विभाग,
दतिया। |
| 9. मुख्य अभियंता,
गंगा कछार, जल संसाधन विभाग, रीवा। | 10. मुख्य अभियंता,
यमुना कछार, जल संसाधन विभाग, ग्वालियर। |
| 11. परियोजना संचालक, पी.एम.यू.
मोहनपुरा कुण्डलिया, राजगढ़ म.प्र. | 12. परियोजना संचालक, पी.एम.यू.
बीना परियोजना, राहतगढ़, रायसेन म.प्र. |

विषय :- अति-वर्षा एवं बाढ़ की स्थिति से निपटने की पूर्व तैयारी।


मध्यप्रदेश शासन द्वारा जारी पत्र क्रं. 28-12/05/सा/31 दिनांक 5 जुलाई 2005, पत्र क्रं. एफ-28-13/05/सा/31 दिनांक 18 अगस्त 2005 एवं पत्र क्रं. 35/5/म/31 दिनांक 02 जून 2006 के अंतर्गत दिये गये निर्देशानुसार कृपया संभागायुक्त की अध्यक्षता में निगरानी समिति की संभाग स्तर एवं जिला स्तर पर समय-समय पर नियमित बैठक आवश्यक रूप से आयोजित की जाए, यह बैठकें 15 जून 2018 के पूर्व अवश्य हो जाए।

पूर्व वर्षों की तरह ही इस वर्ष भी मुख्य अभियंता, बोधी कार्यालय के अंतर्गत जल संसाधन विभाग की बाढ़ नियंत्रण प्रकोष्ठ राज्य जल आकड़ा केन्द्र में दिनांक 15.06.2018 से दिनांक 15.10.2018 तक स्थापित किया जाए बाढ़ नियंत्रण प्रकोष्ठ का कार्य पूर्व वर्षों की तरह हो रहेगा।

अन्तर्राज्यीय बाँधों में सभी मुख्य अभियंता, जल निकासी के पूर्व इसकी सूचना संबंधित राज्यों को प्रदान करेंगे। ऐसे क्षेत्रों में जहाँ अति वर्षा आदि की स्थिति में अन्य बाँधों का पानी छोड़े जाने पर किसी अन्य क्षेत्र में प्रभाव होता हो तो, ऐसे सभी अधिकारी आपस में समन्वय सुनिश्चित करेंगे, जिससे बाँधों से जल छोड़े जाने पर कहीं भी बाढ़ की स्थिति निर्मित न हो जाए।

उपरोक्त विषय में की गई कार्यवाही का पालन प्रतिवेदन 15 जून 2018 के पूर्व प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग एवं शासन को भेजना सुनिश्चित करें।

सहपत्र :- उपरोक्तानुसार


(प्रमोद कुमार खरे) 26.06.17
अवर सचिव,


मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग

पृष्ठां. क्रमांक 35/5/05/31/113

भोपाल, दिनांक 27/04/2018

प्रतिलिपि :-

1. प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, भोपाल। समस्त संबंधितों को प्रति उपलब्ध करावें।
 2. समस्त आयुक्त म.प्र. संभाग,
 3. समस्त कलेक्टर, म.प्र. जिला
 4. परियोजना संचालक, पाइकू डाटा सेंटर, भोपाल
 5. संचालक, जल मौसम विज्ञान भोपाल,
 6. वैब मैनेजर, स्वारा भवन, लिंक रोड क्रं. 3 भोपाल, तत्काल वैबसाइट पर लोड करें।
 7. संचालक, बाँध सुरक्षा भवन, जल संसाधन विभाग, भोपाल।
 8. मुख्य अभियंता, वि./याँ., जल संसाधन विभाग, अमरकंटक भवन, भोपाल जोन-1, एम.पी. नगर, भोपाल की ओर वर्षाकाल के पूर्व बाँधों के जलद्वारों का निरीक्षण कराना सुनिश्चित करें।
 9. समस्त अधीक्षण यंत्री/कार्यपालन यंत्री
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।


अवर सचिव, 28.4.18

मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग